

## परिशिष्ट "अ" १

कार्यालय अति.पुलिस अधीक्षक (जोन-3), जिला उज्जैन (म.प्र.)  
क्रमांक / अति.पु.अ. / उज्जैन / जोन-3 / सु.कोट २७०५ / १९ दिनांक :- ०६ / १२ / २०१९

प्रति:-

श्री हर्ष पसंसर,  
स्टेंडिंग काउंसिल मध्यप्रदेश शासन,  
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

- विषय - एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 'मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरुद्ध हसमुखलाल नवलखा' में अद्यतन स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) प्रदान करने बाबत।
- संदर्भ - पत्र क्र./पु.अ./उज्जैन/ओ.एम./वि.स.शी.स./०४-बी/१९, दिनांक 26.11.19.

— : ००० : —

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नवलखा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्डौर के प्रकरण क्र. 6742 / 2015 में दिनांक 20.01.17 को पारित निर्णय के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 'मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरुद्ध हसमुखलाल नवलखा' की अद्यतन स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) के संबंध में निम्न दो बिन्दुओं पर जानकारी प्रेषित करने करने हेतु निर्देशित किया गया है :-

1. नवलखा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन की माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. क्र. 7740 / 2017 (क्रिमीनल) की अद्यतन स्थिति बतायें।
2. इसमें शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिकारीयों के नाम, पदनाम एवं नियत की गई सुनवाई की तिथियों पर उपस्थिति का समस्त विवरण देंवें।

उल्लेखनीय है कि नवलखा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्डौर के प्रकरण क्र. 6742 / 2015 में दिनांक 20.01.17 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करें थाना महिदपुर के अपराध क्र. 35 / 2015 धारा 420, 468 भादवि. एवं 3 / १ ई.सी.एक्ट की एफ.आई.आर एवं सम्पूर्ण चालान को क्वेश किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 'मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरुद्ध हसमुखलाल नवलखा' प्रस्तुत की गई थी। तत्कालीन अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण-1) जिला उज्जैन श्री मनीष खन्नी उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त थे एवं उनके द्वारा दिनांक 20.03.17 को प्रकरण में नियुक्त मध्यप्रदेश शासन के स्थाई अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा से सम्पर्क कर प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज एवं शापथ पत्र प्रस्तुत किया गया था।

कृपया उक्त दो बिन्दुओं की जानकारी पत्र के बाहन सउनि. जय प्रकाश शर्मा, थाना महिदपुर, जिला उज्जैन के हस्ते भिजयाने की कृपा करें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र-(01)

(अनुभवी अधिकारी)

मध्यप्रदेश शासन:

आकाश शुर्णे

T.C.  
१२.२.२१  
AIG of Police  
M.P., BHOPAL (अंतर सिंह कनेश)  
अति.पुलिस अधीक्षक

# परिशिष्ट "अ" २

कार्यालय अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला उज्जैन (म.प्र.)  
क्रमांक / अति.पु.अ. / उज्जैन / ग्रामीण / सु.कोट / ७१ / 2021      दिनांक - १५/०१/२०२१  
प्रति,

श्री हर्ष परासर,  
स्थाई अधिवक्ता, म०प्र० शासन  
माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर,  
नई दिल्ली-110008,

विषय :- नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में।  
संदर्भ :- एस.एल.पी. (क्रिमीनल) 17688 / 2017.

— : ००० : —

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नवलखा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्डौर के प्रकरण क्र. 6742 / 2015 में दिनांक 20.01.17 को पारित निर्णय के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 "मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरुद्ध हसमुखलाल नवलखा" दायर की गई है।

उक्त एस.एल.पी. की अद्यतन स्थिति के संबंध में मेरे द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने पर उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक नियत नहीं होकर प्रकरण लंबित होना ज्ञात हुआ। प्रकरण वर्तमान में किस स्टेज पर चल रहा है एवं आगामी पेशी दिनांक क्या है, यह लम्बे समय से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक क्यों नियत नहीं हो पा रही है एवं प्रकरण में वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है, इस संबंध में प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

T. C.

आकाश भूरिया  
अति.पुलिस अधीक्षक  
(ग्रामीण) जिला उज्जैन

५६॥४  
(आकाश भूरिया)  
अति.पुलिस अधीक्षक  
८८ (ग्रामीण) जिला उज्जैन

अति.पुलिस अधीक्षक  
मध्य प्रदेश शासन  
पुलिस विभाग, वी (१)  
काल्पन घोड़ा,

१२-१  
AIG of Police  
CID, M.P., BHOPAL

## परिशिष्ट "ब"

1 ताराकिंत प्रश्न क्रमांक	1219
2 शासन को उत्तर भजने का दिनांक	18.02.2021
3 सदन में चर्चा दिनांक	26.02.2021
4 विभाग का नाम	गृह विभाग
5 वर्ग	04

विषय:- अनुमति याचिका दायर करने के बाद विभाग की भूमिका  
द्वारा:- माननीय विधायक श्रीबहादुर सिंह चौहान

### प्रश्नांश (ख)

प्रभारी अधिकारियों के नाम, पदनाम निम्नानुसार हैं -

01. श्री मनीष खत्री, तत्कालीन अतिपुअ, ग्रामीण उज्जैन दिनांक 24.06.2015 से 07.05.2018 तक
02. श्री जगदीश डाबर, तत्कालीन अतिपुअ, ग्रामीण उज्जैन दिनांक 25.04.2018 से 09.08.2018 तक
03. श्री अन्तरसिंह कनेश, तत्कालीन अतिपुअ ग्रामीण, उज्जैन दिनांक 10.08.2018 से 03.06.2020 तक
04. श्री आकाश भूरिया, तत्कालीन अतिपुअ ग्रामीण उज्जैन दिनांक 28.01.2020 से निरंतर...

L  
9.2.21  
AIG of Police  
CID, M.P., BHOPAL

अनुमान द्वारा दिया गया।  
अच्यु प्रदेश शासन,  
गृह (पुरिष) विभाग, दी (1),  
संसाधन, बोपाल,